

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15(1)2013/कार्मिक-भर्ती/प्रमुवसं/14494-585
निमित्त,

दिनांक 26/9/13

मुख्य वन संरक्षक अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव कोटा/
वन्य उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर।

विषय : वाहन चालक/सर्वेयर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयारी मुद्रण मय
OMRS शीट का मूल्यांकन एवं परिणाम उपलब्ध कराने के कार्य
गोपनीय रूप से कराने हेतु निविदा प्रक्रिया में छूट दिलाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वाहन चालक/सर्वेयर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयारी मुद्रण
मय OMRS शीट का मूल्यांकन एवं परिणाम उपलब्ध कराने के कार्य गोपनीय रूप से
कराने हेतु निविदा प्रक्रिया में छूट दिलाने हेतु राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी पब्लिक प्रोक्युरमेंट
एक्ट 2012 के सेक्शन 31 (एच) के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,



(वीरेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)प्रनुवस/लेखा/बजट/2013-14/

दिनांक :

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर।
 मुख्य वन संरक्षक,
 जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर
 मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
 जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर

विषय :- वाहन चालकों एवं सर्वेयर की सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2013-14 हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के कृत में।
 सन्दर्भ :- शासन प्रप सचिव, वन विभाग का पत्र क्रमांक ए. 07(11)वन/2012 दिनांक 24.09.2013

महोदय,
 वाहन चालकों एवं सर्वेयर की सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2013-14 आयोजित करने हेतु ऐसे कार्य जो गोपनीयता प्रकृति के हैं या ऐसे कार्य हैं जिनका नगद भुगतान किया जाना है कि सुनिश्चित गुणावगुण के आधार पर विभागीय सक्षमता में निर्धारण उपरान्त उक्त राशि का साविलेनि भाग-1 नियम, 219 व 220 के प्राधानान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र क्रमांक कनांक ए. 07(11)वन/2012 दिनांक 24.09.2013 द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त शिथिलता के अनुसरण में समस्तव्ययक बजट आवंटन दिनांक 20.09.2013 में निम्न राशि की सीमा तक ए.सी. बिल द्वारा अग्रिम नगद आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शिथिलन देते हुए ए.सी. द्वारा अग्रिम नगद आहरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	राशि (लाखों में)	
1	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर	6.18	
	1. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा		1.10
	2. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर		0.40
	3. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर		2.03
	4. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर		0.65
	5. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर	2.00	
2	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	3.00	
3	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर		
4	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर		
5	मुख्य वन संरक्षक, कोटा		
6	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर		
7	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर		
8	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर		
	योग		
		25.03	

(कुल बजट आवंटन अक्षरों रूपमें पच्चीस लाख तीन हजार मात्र)

1. ध्य. सा.वि. एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत किया जावें।
2. अग्रिम आहरण राशि का विस्तृत आकस्मिक बिल प्रारूप जी.ए. 86 में तैयार कर 31 मार्च तक की अवधि तक समायोजन कराने हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जावें।
3. अग्रिम से शेष रही राशि शीघ्र राज्य कोष में जमा कराई जायेगी।
4. व्यय बजट प्रावधान की सीमा में ही किया जायेगा।
5. ध्यय उन्हीं कार्यों पर किया जावेगा जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति विस्तृत ध्यय की आई.डी. संख्या 261300180 दिनांक 23.09.2013 के अनुसरण में जारी की गई है।
6. भुगतान अति आवश्यक होने पर ही नगद में किया जावे।
7. स्वीकृति इतने शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शित नियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावें।
8. राशि आवश्यकतानुसार ही आहरित की जावे। आवश्यकता से अधिक राशि आहरित नहीं की जावे।


भवदीय,
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 (HOF)
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)प्रमुवस/लेखा/बजट/2013-14/ 4978-91

दिनांक 26-9-2013

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, वित्त व्यय, III वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट), विभाग।
5. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी



 वित्तीय सलाहकार,
 वन विभाग
 राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15(1)2013/कार्मिक-भर्ती/प्रमुवस/14506-18

दिनांक 26/9/13

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 (ए.बी.रामटेके)
 मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 राजस्थान जयपुर